

राजस्थान -सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।
क्रमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / एसीपी / ए-950 / 2019 / दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ0 14(1) एफ.डी./नियम/2013-11 दिनांक 28.06.13 से सम्बन्धित आदेशों को वृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित नर्स श्रेणी द्वितीय जिन्होंने 09, वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एसीपी स्वीकृत की जाती है -

| क्र. सं. | कर्मचारी का नाम एवं पद | पदस्थापन जिला | प्रथम नियुक्ति तिथि | दिनांक व पूर्ण सेवावधि | देय पे बन्ड | देय पे ग्रेड |
|----------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | मनोहर लाल | जालौर | 09.04.08 | 09.04.17 09 वर्ष | 9300-34800 4200 | 4800 |


— & d —
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / एसीपी / ए-950 / 2019 / 441

दिनांक:- 24-04-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर
3. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चितलवाना, जालौर।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर नाम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।